ने ेती के लिये उपजाऊ बनाई है, उन से लेकर नीलाम किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनको क्या मुआवजा दिया जा रहा है ; और

(ग) क्या ये जमीनें किसानों को पूछ कर और उनको मुआवजा देने के बाद नीलाम की जायेंगी और यह कब तक किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा की टेबल पर रख दी जायेगी ।

गन्ने के बीज फार्म

२६. **श्री यशपाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने की विकसित किस्मों के बीज तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई फार्म स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो किस स्थान पर ;

(ग) इसमें कितना धन व्यय होगा ; और

(घ) यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

खाद्य उपमंत्री (श्री ए० एम० थामस) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं होता ।

Derailment near Rourkela

27. **Shri D. C. Sharma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the engine and 13 bogies of a goods train derailed and capsized at Panposh station (South Eastern Railway) near Rourkela on the 18th December, 1962;

(b) if so, whether the cause of the accident has been investigated; and

(c) the details of the accident and the result of the enquiry held into the matter?

..**The Deputy Minister in the Ministry of Railways .(Shri S. V. Ramaswamy)**: (a) to (c). The accident occurred on 17-12-1962 and not on 18-12-1962. The engine of No. 502 Down goods train dashed against the dead-end at Panposh station and fell into the ditch with 11 wagons next to the engine. Four wagons next to the 11 wagons also derailed. The accident was enquired into by a Committee of Senior Scale Officers and their findings are under the examination of the Railway Administration.

अदालती पंचायतें

२८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री** २२ जनवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अदालती पंचायतों के बारे में अध्ययन-मण्डल द्वारा की गयी सिफारिशों पर विभिन्न राज्य सरकारों ने अब तक जो कार्यवाही की है, क्या उसके बारे में एक विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

आंध्र प्रदेश : आंध्र प्रदेश ग्राम पंचायत विधेयक १९६२ में समझौता बोर्डस और न्याय पंचायतों की व्यवस्था की गई है । यह अधिनियम विधान-सभा की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष है । न्याय पंचायतों

से सम्बन्धित विधेयक के विभिन्न उपबन्धों और अध्ययन दल की सिफारिशों पर प्रवर समिति विचार कर रही है ।

गुजरात : अधिकतर सिफारिशें पहले ही गुजरात पंचायत अधिनियम १९६१ में शामिल हैं । कुछ सिफारिशें, जो इस अधिनियम में नहीं आती हैं, उनकी राज्य सरकार जांच कर रही है ।

मद्रास : राज्य सरकार ने इन सिफारिशों पर हाई कोर्ट, राजस्व बोर्ड, पुलिस महा-निरीक्षक, हरिजन कल्याण निदेशक से उनकी टिप्पणियां मांगी हैं ।

मैसूर : राज्य सरकार ने अधिकतर सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और विधेयक तैयार किया जा रहा है ।

उड़ीसा : सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । ग्राम पंचायतों के वर्तमान कानून में संशोधन और सुधार करने के लिए एक व्यापक विधेयक विधान सभा के समक्ष है । न्याय पंचायतों के बारे में प्रस्तावित कानून का कार्य इस विधेयक के पास होने के बाद हाथ में लिया जाएगा ।

राजस्थान : अधिकतर सिफारिशें पहले से ही राजस्थान पंचायत अधिनियम में शामिल है । न्याय पंचों के लिए यात्रा और फुटकर खर्चों के बारे में सिफारिश ४८ पर विचार किया जा रहा है ।

पंजाब : सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है । पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को न्यायिक अधिकार हैं । जबकि वर्तमान पद्धति में कोई आमूल परिवर्तन लाने का इरादा नहीं है तो भी अलग न्याय पंचायतें स्थापित करने के प्रश्न पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

उत्तर प्रदेश : न्याय पंचायतों से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम १९४७ के अधिकतर उपबन्ध अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुरूप हैं । वर्तमान अधिनियम के स्थान पर एक व्यापक पंचायती राज अधिनियम पास करने का राज्य सरकार का विचार है और न्याय पंचायतों के ढांचे में आवश्यक परिवर्तन उस समय किए जायेंगे ।

पश्चिमी बंगाल : इन सिफारिशों पर तब विचार किया जाएगा जब आपतकाल के बाद सारे राज्य में पंचायतें और जिला परिषदें स्थापित कर दी जाएंगी ।

असम
बिहार
केरल
जम्मू और काश्मीर } प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है ।
महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश

क्लर्कों और डाकियों की विभागीय परीक्षायें

२९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २२ जनवरी, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश परिमण्डल में १६ दिसम्बर, १९६२ को हुई क्लर्कों और डाकियों की विभागीय परीक्षा के बारे में वहां के पोस्ट मास्टर जनरल को किस आशय की शिकायत मिली है ; और

(ख) पोस्ट मास्टर जनरल उस शिकायत की जो जांच कर रहे थे उसका क्या परिणाम निकला ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भगवती) : (क) उक्त शिकायत में यह कहा गया था कि १६ दिसम्बर, १९६२ को हुई परीक्षा के बारे